GM(J)
for Guard file.
10.4.2018

मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 09/04.2018

क्र. एफ 16-17/2017/ए-ग्यारह: राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2017) अंतर्गत टेक्सटाईल सेक्टर में मूल्य संवर्धित श्रृंखला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से परिधान क्षेत्र की वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों (**Garmenting Sector**) को **संलग्न परिशिष्ट** अनुसार विशिष्ट वित्तीय सहायता स्वीकृत की जाती है।:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलैमान)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16-17/2017/ए-ग्यारह भोपाल, दिनांक 09/04.2018

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव (समन्वय), मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कॉर्पोरेशन., भोपाल।
4. प्रबंध संचालक, समस्त औद्योगिक केन्द्र विकास निगम ...../IIDC ग्वालियर।

- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
उद्योग नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

परिधान क्षेत्र (Garmenting Sector) अन्तर्गत वृहद श्रेणी की निर्माण इकाईयों को विशिष्ट वित्तीय सहायता का स्वरूप एवं निर्धारित नियम / प्रक्रिया

1. परिभाषा:-

1.1 **रेडिमेड गारमेंट एवं मेडअप्स से अभिप्रेत है:-** पहनने योग्य या गैर पहनने योग्य सिले कपड़े जिनमें से कपड़ों के कम से कम दो सिरों की सिलाई मशीनरी का उपयोग कर की गयी है तथा एमपी ट्रायफेक की वेबसाईट में निवेश आशय प्रस्ताव दर्ज किया गया हो तथा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अनुक्रम में इस विशेष वित्तीय सहायता हेतु जारी अधिसूचना दिनांक को या उसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ किया हो।

1.2 **प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश:-** राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह दिनांक 13/10/2017 के अनुसार मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2017) अंतर्गत द्वारा जारी मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014 (यथा संशोधित जनवरी 2018) के बिन्दु क्रमांक 4.1 में वर्णित परिभाषा के अनुरूप।

1.3 **वृहद श्रेणी की इकाई:-** वृहद श्रेणी की इकाई से अभिप्रेत ऐसी इकाई से है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी में रू 10 .करोड से अधिक का पूंजी निवेश किया गया हो ।

2. **विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का विवरण:-**

परिधान निर्माण इकाईयों को विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत ब्याज अनुदान, निवेश प्रोत्साहन सहायता, प्रशिक्षण व्यय/रोजगार सृजन पर सहायता, स्टांप शुल्क एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति सहायता, विद्युत शुल्क से छूट एवं विद्युत टेरिफ में रियायत इत्यादि समस्त सहायता मदों को सम्मिलित कर अधिकतम सीमा/परिमाण इकाई द्वारा किये गये प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की राशि के 200% तक होगी। इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 3 वर्ष पूर्व एवं 3 वर्ष पश्चात् तक किए गए स्थायी पूंजी को सुविधाओं के परिपेक्ष्य में गणना हेतु मान्य किया जावेगा ।

2.1 **ब्याज अनुदान:-** भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय की संशोधित टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (ATUFs) अंतर्गत मान्य मशीनरी पर वित्तीय संस्थाओं/बैंकों से लिये गये टर्म लोन पर 5 प्रतिशत की दर से 7 वर्षों के लिये।

2.2 **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - राज्य शासन के आदेश क्र. एफ 16-18/2013/बी-ग्यारह दिनांक 13-10-2017 के अनुसार गारमेंट विनिर्माण क्षेत्र की वृहद औद्योगिक परियोजनाओं को निवेश प्रोत्साहन सहायता का लाभ प्रदान किया जावेगा ।

2.3 **प्रशिक्षण व्यय/रोजगार सृजन पर सहायता:-**

अ. **प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति-** टेक्सटाईल परियोजनाओं को तकनीकी एवं कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता के दृष्टिगत कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु व्यय प्रतिपूर्ति की सहायता प्रति नवीन कर्मचारी रू. 13000 पांच वर्षों के लिये दी जावेगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों को प्राप्त होगी।

ब. **रोजगार सृजन अनुदान-** नियोक्ता द्वारा इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से प्रथम आठ वर्ष की समयावधि में नियुक्त किये गये समस्त नवीन कर्मचारियों को रू. 5000 प्रति कर्मचारी प्रति माह सहायता का लाभ प्राप्त करने की पात्रता होगी। सहायता अवधि अधिकतम 5 वर्ष होगी। यह सहायता इकाई में वाणिज्यिक

(श्रीमती शांतिनी सिन्हा)
अवर सचिव,

उत्पादन प्रारंभ होने के दिनांक से 10 वर्ष की अवधि तक सीमित होगी इसका आशय यह है कि आठवें वर्ष में नियुक्त नवीन कर्मचारी को उसकी नियुक्ति दिनांक से अगले दो साल तक रोजगार सृजन अनुदान की पात्रता होगी । उक्त सहायता निम्न शर्त के अध्याधीन होगी :-

क्र	समयावधि	परियोजना में उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	01 वर्ष के अन्दर	50 %
2	03 वर्ष के अन्दर	75 %
3	05 वर्ष के अन्दर	90 %

उक्त शर्त की पूर्ति न करने पर इकाई को उपलब्ध करायी जा रही रोजगार सृजन अनुदान सहायता में समानुपातिक रूप से कटौती की जावेगी ।

2.4 **स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति:-** ऐसी इकाईयां जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्रों में पट्टे पर भूमि लेती है उन्हें पट्टे की भूमि पर प्रभारित स्टांप ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जावेगी।

2.5 **विकास शुल्क से छूट-** मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 अंतर्गत प्रावधान अनुसार भूमि के प्रीमियम पर प्रभावी छूट के अतिरिक्त गारमेंटिंग इकाईयों को औद्योगिक क्षेत्र में पट्टे पर भूमि लेने की दशा में इकाईयों पर प्रभारित विकास शुल्क में 50% की छूट प्रदान की जावेगी।

2_6 **विद्युत शुल्क पर छूट:-** सभी पात्र नवीन इकाईयों को विद्युत कनेक्शन लेने के दिनांक से 7 वर्ष के लिये विद्युत शुल्क से छूट।

2_7 **विद्युत टैरिफ में रियायत:-** नवीन विद्युत कनेक्शन पर परियोजना में वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्षो हेतु रू. 5 प्रति यूनिट की स्थिर दर से विद्युत आपूर्ति ।

3_ **विशिष्ट वित्तीय सहायता/रियायत हेतु निर्धारित शर्ते:-** परिधान निर्माण क्षेत्र के लिये विशिष्ट वित्तीय सहायता वृहद श्रेणी की इकाईयों को उपलब्ध होगी।

4 . **परिधान निर्माण क्षेत्र (Garmenting Sector) को विशेष वित्तीय सहायता/रियायत की प्रभावशीलता, विस्तार एवं स्पष्टीकरण:-** इन विशेष वित्तीय सहायता/रियायत का लाभ ऐसी वृहद परिधान निर्माण इकाईयों को शर्तो के अध्याधीन उपलब्ध होगा, जिन्होने 01 अप्रैल 2018 अथवा उसके पश्चात एवं 31 मार्च 2022 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया हो। जिन इकाईयों द्वारा उनके प्रस्तावित निवेश का 75 प्रतिशत निवेश निर्धारित अंतिम तिथि (31 मार्च 2022) तक कर लिया जावेगा उन्हे वाणिज्यिक उत्पादन प्रांरभ करने तथा प्रस्तावित सहायता का लाभ प्राप्त करने के लिये निर्धारित समयावधि से 01 वर्ष का अतिरिक्त समय प्रदान किया जावेगा।

5. पात्र इकाईयों को मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2017) प्रावधानित अन्य सुविधा/सहायता देय नही होगी।

6. उक्त सुविधा का लाभ केवल ऐसी इकाईयों को प्राप्त होगा जो ट्रायफेक/ए.के.व्ही.एन. द्वारा विकसित अथवा अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थापित होंगी।

(Shalini Sinha)

7. **संशोधन, शिथिलीकरण/निरसन की शक्तियां:- परिधान क्षेत्र (Garmenting Sector) को विशेष वित्तीय सुविधाऐं अंतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी शासन किसी भी समय :-**

7.1 संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा।

7.2 इसके प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा।

7.3 इसके क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं निहित प्रावधानों की व्याख्या करने की लिये निर्देश एवं मार्गदर्शन प्रसारित कर सकेगा।

8. परिधान क्षेत्र (Garmenting Sector) हेतु विशेष वित्तीय सहायता/रियायत अंतर्गत समस्त देय सुविधाओं का निराकरण एमपी ट्रायफेक द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित अक्टूबर 2017) अंतर्गत जारी मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना, 2014 (यथा संशोधित जनवरी 2018) में निहित प्रक्रिया एवं शर्तो के अध्याधीन किया जावेगा।

(श्रीमती शालिनी सिन्हा)
अवर सचिव,

(Shalini Sinha)
Under Secretary
Govt. of M.P.
Deptt. of Industrial Policy and Investment Promotion